

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ 19-29/2020/1/4

भोपाल, दिनांक 19.05.2020


// आदेश //

विभाग के आदेश क्रमांक एफ-19-92/2003/03/01/4, भोपाल, दिनांक 01 अगस्त, 2003 द्वारा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के "राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन" के अधीन गठित की गयी शिखर समिति (Apex Committee) को अधिक्रमित करते हुए, "जल जीवन मिशन" के अंतर्गत, जल जीवन मिशन के सुचारू क्रियान्वयन हेतु राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार पुनर्गठन किया जाता है :-

1. मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन - अध्यक्ष
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग - सदस्य सचिव
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग - सदस्य
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग - सदस्य
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग - सदस्य
6. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, म.प्र. शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग - सदस्य
7. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, म.प्र. शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग - सदस्य
8. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग - सदस्य
9. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग - सदस्य
10. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, म.प्र. शासन, जल संसाधन विभाग - सदस्य
11. प्रबंध संचालक, म.प्र. जल निगम - सदस्य
12. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, म.प्र. शासन, जनसंपर्क विभाग, के प्रतिनिधि - सदस्य
13. जल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि - सदस्य
14. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल - सदस्य
15. परियोजना निदेशक, म.प्र. जल निगम, विंध्याचल भवन, भोपाल - सदस्य
16. तीन विषय विशेषज्ञ (ग्रामीण पेयजल/जन सेवा/प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन/समुदाय विकास आदि से संबंधित) - सदस्य
17. अध्यक्ष महोदय की अनुमति से आमंत्रित अन्य विशेषज्ञ - सदस्य

- 2/ शिखर समिति द्वारा जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन हेतु जारी परिचालन के दिशा-निर्देशों (Operational Guidelines) के अनुरूप राज्य में ग्रामीण जलप्रदाय कार्यक्रम के क्रियान्वयन संबंधी कार्यवाही की जायेगी।
- 3/ जल जीवन मिशन के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आवश्यकतानुसार शिखर समिति की बैठकों का आयोजन किया जायेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(डी.के.नागेन्द्र)


उप सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ. क्रमांक: एफ 19-29/2020/1/4

भोपाल, दिनांक 19.05.2020

प्रतिलिपि:-

1. समिति के अध्यक्ष/सदस्य/सदस्य सचिव।
  2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय भोपाल।
  3. प्रमुख सचिव (समन्वय) मुख्य सचिव कार्यालय मंत्रालय, भोपाल।
  4. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की ओर उनकी नस्ती सहित प्रस्तुत।
  5. उपसंचालक, जनसम्पर्क मंत्रालय भोपाल।
- की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
19/5/2020  
उप सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग